न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 65 / 2020

शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
शाखा कार्यालयः– 711 / 4, प्रथम तल, के0सी0 कॉम्पलक्स दौलत बाग के सामने, अजमेर (राज0) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.................प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1). श्री मौहम्मद सादीक पुत्र श्री बुन्दू खान, ,
(अ) मिश्ती मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज0) 305802
(ब) पट्टा नं0 1143 / 2017, न मिश्ती मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज0) 305802

(2). श्री रईस पुत्र श्री मोहम्मद सादिक,
(अ) मिश्ती मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज0) 305802
(ब) पट्टा नं0 1143 / 2017, मिश्ती मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज0) 305802

.........अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री सजय सिह राजावत अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 19.03.2020

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थी श्री मौहम्मद सादीक पुत्र श्री बुन्दू खान, निवासी:– मिश्ती मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज0) 305802 को दिनांक 16.03.2018 को रूपये 3,90,000 / –(अक्षर तीन लाख नब्बे हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर पट्टा नं0 1143 / 2017, न मिश्ती मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज0) स्थित सम्पत्ति, क्षैत्रफल 65.38 वर्ग गज, जो श्री मोहम्मद सादीक पुत्र श्री बुन्दू खान के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाऐं :– पूर्व में:–सलीम का मकान, पश्चिम में:– रास्ता, उत्तर में:–मुन्ना की संपत्ति, दक्षिण में:– रमजानी का मकान, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनाक 02.06.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण / ऋणी को दिनांक 24.07.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 4,22,539 / –(अक्षरे चार लाख बाईस हजार पांच सौ उनचालीस मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष मे उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नही किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियां के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में पट्टा नं0 1143/2017, न मिश्ती मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ, जिला अजमेर (राज0) में स्थित बंधक सम्पति, क्षैत्रफल 65.38 वर्ग गज, जो श्री मोहम्मद सादीक पुत्र श्री बुन्दू खान के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ है:- पूर्व में:-सलीम का मकान, पश्चिम में:- रास्ता, उत्तर में:-मुन्ना की संपत्ति, दक्षिण में:- रमजानी का मकान, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये सबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो सबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 19.03.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर